

प्रेषक,

एस0के0द्विवेदी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 11 फरवरी 2013

विषय:-निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत गहरे नलकूप की योजना के अन्तर्गत निर्मित बोरिंग के हैण्डओवर होने के उपरान्त छः माह के अन्दर बोरिंग फेल होने के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या 3940/62-2-2012-2/2(10)/2012 दिनांक 20.11.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-3(iii) में बोरिंग फेल होने के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये हैं कि बोरिंग हैण्डओवर होने के 6 माह के अन्दर जिसमें यह माना गया है कि कृषक ने एक सीजन की सिंचाई कर ली होगी, यदि बोरिंग फेल होती है और निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अधिक दोष प्रकाश में आते हैं तो विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों का दायित्व निर्धारित किया जायेगा :-

(अ) उपयुक्त सही साइज का एवं समुचित मात्रा में पी-ग्रेवल का न डाला जाना।

(ब) बोरिंग का विकास सही ढंग से न किया जाना।

(स) ड्रिलिंग सही/सीधा न होना।

(द) सामग्री के प्रयोग में कमी।

(य) अधोमानक सामग्री का प्रयोग।

(र) वर्कमैनशिप में कमी।

2- बोरिंग हैण्डओवर होने के उपरान्त छः माह के अन्दर कृषक द्वारा बोरिंग फेल होने की सूचना देने की दशा में बोरिंग फेल होने में विभागीय दोष के उत्तरदायित्व के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(अ) सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता कार्यालय में उक्त सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का पूर्ण विवरण एक पृथक रजिस्टर में रखा जायेगा, जिसमें कृषक का नाम, ग्राम का नाम, विकास खण्ड का नाम, जनपद का नाम, शिकायत प्राप्त होने की तिथि, शिकायत प्राप्त

होने का माध्यम (डाक द्वारा अथवा कृषक द्वारा स्वयं) रखा जायेगा। यदि कृषक द्वारा शिकायत स्वयं प्राप्त करायी जाती है तो उसकी प्राप्ति भी कृषक को सम्बन्धित कार्यालय द्वारा दी जायेगी। बोरिंग फेल होने की शिकायत प्राप्त होने की तिथि से ही उक्त छः माह की गणना की जायेगी जिसके लिये केवल लिखित शिकायत को ही संज्ञान में लिया जायेगा।

(ब) सहायक अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता स्तर पर प्राप्त शिकायतों को सम्बन्धित अधिकारी द्वारा 10 दिन के अन्दर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता(ल०सिं०) द्वारा अपने कार्यालय में प्राप्त शिकायतों तथा अन्य स्तरों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने के 10 दिन के अन्दर व्यक्तिगत रूप से फेल बोरिंग के स्थल का निरीक्षण कर बोरिंग के अभिलेखों के आधार पर उपर्युक्त उल्लिखित बिन्दुओं पर जाँच की जायेगी तथा बोरिंग फेल होने के कारण/कारणों का निर्धारण किया जायेगा। जाँच में अधिशासी अभियन्ता द्वारा कृषक का बयान भी लिया जायेगा तथा विस्तृत जाँच रिपोर्ट स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त 15 दिन के अन्दर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, ल०सिं० को प्रेषित की जायेगी। सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता की जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट का परीक्षण कर सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों का दोष निर्धारण अनुपातिक रूप से करेंगे। साथ ही यह भी निर्धारित करेंगे कि बोरिंग विभागीय दोष के कारण फेल हुई है अथवा नहीं और विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए तदनुसार कृषक को अवगत करायेंगे। इसके अतिरिक्त विभागीय दोष के कारण बोरिंग फेल होने की दशा में पुनः बोरिंग कराने हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को भी निर्देशित करेंगे। सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता यदि आवश्यक समझे तो अपने स्तर से भी उक्त सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण कर स्वतंत्र रूप से जाँच कर निर्णय ले सकते हैं। तदुपरान्त सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों का स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर प्राप्त किया जायेगा।

(स) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के स्पष्टीकरण तथा जाँच रिपोर्ट के आधार पर अपनी संस्तुति सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रकरण पर वसूली करने हेतु मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रेषित करेंगे तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रकरण का भण्डार आपूर्ति खण्ड, लघु सिंचाई मुख्यालय से विस्तृत परीक्षण कराने के उपरान्त वसूली आदेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण सम्बन्धित नियुक्त प्राधिकारियों को संदर्भित किया जायेगा। जिन कार्मिकों के नियुक्त प्राधिकारी मुख्य अभियन्ता है उनके सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वयं वसूली आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3. गहरी बोरिंग योजना के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे।

4. कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(एस०के०द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या : 213/62-2-2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/कार्यक्रम कियान्वयन/
समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
- 6- महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, लखनऊ।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन
लखनऊ।
- 9- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 10- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 11- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता/सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 13- उपनिदेशक, सौख्यकीय सेल, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- 14- अधीक्षण अभियन्ता/ विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, लखनऊ।
- 15- अधिशाली अभियन्ता, आपूर्तिखण्ड, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
- 16- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 17- गार्ड फाइल, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,



(एस०के०द्विवेदी)
विशेष सचिव।